18/11/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी क्र
4 व 5 की ओर से D.N गालव उप०। शेष प्रतिवादी
गण बावजूद सूचना अनुपस्थित, प्रतिवादी संख्या
1, 2, 3 व 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब
पेश नहीं कर सीधे बहस की और अपील मंजूर
करने की प्रार्थना की। अधिवक्ता अपीलार्थी ने
अपनी बहस में कहा कि अपीलार्थी किशना का
दत्तक पुत्र है एवं धन्नी उसकी माता थी,
पिता का स्वर्गवास होने पर मांडपुर में इन्तकाल
क्र० 21 दिनांक 21-3-1996 में मृतक धन्नीबाई

(अंजीता सहायवत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	धोकलीलाल बनाम रामेश्वर
	के स्थान पर धोकलीलाल ~~पुत्र~~ पुत्र किशनलाल का नाम दर्ज हो चुका है एवं ग्राम पंचेलखुर्द मे सम्वत 2033-2036 मे धोकल्या पुत्र किशना नाबालिग एवं वली माँ मु० धन्नी दर्ज था, इसमें माँ वली भी खातेदार नहीं थी। ~~महत्व~~ धोकल्या किशना का इकलौता वारिस है, धन्नी लाओलाद फौत नहीं हुई थी, धन्नी अपीलार्थी की माता थी। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2063-66 में धोकल्या पुत्र किशना पुत्र धन्नी बेवा किशना 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2017-20 में इन्तकाल 007 में किशना के स्थान पर धोकल्या नाबालिग वली धन्नी दर्ज है। ग्राम पंचायत ने अपील अन्तर्गत इन्तकाल दर्ज करने में भारी भूल की है, जबकि समान जमाबंदी से स्पष्ट था कि धन्नी अपीलार्थी की माता थी, लाओलाद नहीं थी अतः अपील अन्तर्गत इन्तकाल खारिज कर धन्नीबाई के स्थान पर अपीलार्थी का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें
	(अंजना [illegible]ावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता [illegible] (राज०)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अन्ता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज

धोकलीलाल बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज	नम्बर व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मैंने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता सुनी। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, ग्राम पंचायत पचेलखुर्द के वारिस प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि धन्नी का एकमात्र वारिस उसका ~~एक~~ पुत्र धोकलीलाल है। ग्राम पंचायत द्वारा धन्नी के फौत होने पर ग्राम पचेलखुर्द के खाता संख्या 77 खसरा नं0 83 रकबा 5.60 हे0 की जमाबंदी का अवलोकन नहीं किया, अवलोकन किया जाता तो जमाबंदी से ही स्पष्ट हो जाता कि धन्नी का एकमात्र वारिस अपीलार्थी धोकलीलाल पुत्र किशनलाल है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस अधिवक्ता आदि से सहमत होकर मैं अपील स्वीकार करना उचित समझती हूँ।	
अपील अपीलार्थी स्वीकार कर ग्राम पंचायत कानपुरी द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 77 दिनांक 05-04-2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अंता को निर्देशित किया जाता है कि वह ~~ग्राम~~	
(अंजलि महरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)	

ता: !	तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज
		ग्राम पचेलखुर्द के खाता नं० 77 ~~खसरा~~ खसरा नं० 83 रकबा 5.60 हे० में मृतक धन्नीबाई का हिस्सा 1/6 अपीलान्टी के नाम दर्ज कर सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 अपीलान्टी के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)